

FORM No. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

य सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) खण्डेला

जम्हूराम ..... बनाम ..... बजरामलाल को

दावा ..... स्पर्ध निषेधावा ..... मुकदमा नं. F.T-167/2018 सन् 2018

हुकम या कार्यवाही यस लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
<p>वकील वादी श्री बनवारी लाल जांगू ने हाजिर अदालत होकर वादपत्र पेश किया। दावा दर्ज रजिस्ट्रार किया जावे। उतिवदीगण की तलबी जर्मि सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 18/01/19 को पेश हो।</p>	<p>8085-36 19/12/18</p>
<p>वकील वादी उप.। वकील वादी ने जर्निल पत्र विद्वा पेश कर निवेदन किया कि वादी स्व. उतिवदीगण के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है। अतः अनुवती उक्ताण दावा को विद्वा करने के अर्थ फर्माया जाने की कृपा करें। वकील वादी का जर्निल पत्र स्वीकार किया जावे और पत्रावली जावे पर स्वीकार किया जाकर दावा विद्वा की अनुमति उदात की जाती है। उक्ताण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः कार्यवाही उक्ताण एसी स्तर पर Drop किया जाता है। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर ले कर भेजा हो तथा बाद तलबील नाजिल दफ्त हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	<p>जम्हूराम 01/12/18</p>
<p>भागीरथ शाख (RAS) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) खण्डेला</p>	